

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या: 400/XXIII/2018/02(03)/2018

देहरादून: दिनांक: 10 अप्रैल, 2018

आदेश

शासन के आदेश संख्या:-399/XXIII/2018/02(03)/2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के द्वारा माह अप्रैल, 2018 में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन में जनपद देहरादून, हरिद्वार व चम्पावत में हुई राजस्व हानि के दृष्टिगत जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, चम्पावत को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

2. उक्त अधिकारियों के निलम्बन के परिणामस्वरूप प्रश्नगत जनपदों हेतु अग्रिम आदेशों तक श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर जिला अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून को जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, श्री ललित नारायण मिश्र, अपर जिला अधिकारी (वित्त), हरिद्वार को जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार एवं श्री हेमन्त कुमार वर्मा, अपर जिला अधिकारी, प्रशासन/वित्त, चम्पावत को जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत का कार्यभार अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे। उक्त कार्य हेतु कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।


डा० रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 400/XXIII/2018/02(03)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
7. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत।
8. संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत।
10. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव